



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश
Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh
(Formerly, Meerut University)

3.2 Resource Mobilization for Research

3.2.3 Key Indicator: Research projects funded by the Government and Non-Government/ Agencies

Index (Academic Year 2020-2021)

S.No.	Name of the Scheme/Project/ Endowments/ Chairs	Name of the Principal Investigator/ Co Investigator (if applicable)	Department	Name of the Funding agency	Funds provided (INR in lakhs)	Supporting Document Page No.
1.	Technology to Promote Equity, Access and Quality in Higher Education: Policies and Practices from South Africa and India.	Dr. Pradeep Kumar Misra	Education	NIHSS - South Africa & ICSSR	13.2	1
2	Social Volunteerism and Political Region During Covid-19 Pandemic Study of Sewa Bharti Endeavours in Haridwar (Uttarkhand) and Hawrah (West Bebgal) Districts"	Dr. Rajendra Kumar Pandey	Political Science	ICSSR	8	4
3.	५० दीनदयाल उपाध्याय प्रणित एकात्म मानव दर्शन का दार्शनिक आधार: वैदिक साहित्य के विशेष संदर्भ में।	Dr. Pawan Kumar Sharma	Political Science	ICPR - Chair	5	7
4.	Minor Research	Dr Vijai Malik	Botany	U.P.	2.15	13

	Project: Studies On Graminoids of Uttar Pradesh, Meerut?			Higher Education		
5.	Minor Research Project: Enhancement of Heat Tolerance In Legume Food Crop (Chick Pea) by Rhizobium Engineering	Dr Ashok Kumar	Botany	U.P. Higher Education	2.19	13
6.	Minor Research Project: Development of Toxic Gas Sensors using Bio-synthesised Semiconducting Metal Oxide Nanostructures.	Prof. Beer Pal Singh,	Physics	U.P. Higher Education	3.38	13
7.	Minor Research Project: Development of Efficient Electrode Materials for Supercapacitor Application	Prof. Beer Pal Singh	Physics	U.P. Higher Education	4.67	15
8.	Minor Research Project: Security Challenges and Solutions in Smart cities : A Cryptographic Approach.	Prof. Mridul Kumar Gupta	Mathematics	U.P. Higher Education	2.75	18
9.	Minor Research Project: Mathematical Aspect of Meditative Fuzzy Logic to Health Management System	Dr. Mukesh Kumar Sharma	Mathematics	U.P. Higher Education	3	18
10	Minor Research Project: Mathematical Modelling of Inertory with Environmental Concern.	Prof. Shiv Raj Singh	Mathematics	U.P. Higher Education	2.8	18
11	Minor Research Project: Isolation and Characterization of Phormidium Strains from	Dr Rama Kant	Botany	U.P. Higher Education	1.48	15

	Polluted water bodies of Meerut for harnessing of valued added product and nutrients mining Potential						
12	Minor Reseach Project: Genoic Analysis of Zoonotic and Non Zoonotic Helminth Parasites from Mice (Mus Muscules) and Rat (Rattus Norvigicus and Rattus Rattus) in Meerut Region to Identify Potential drug compounds.	Dr. Bindu Sharma	Zoology	U.P. Higher Education	1.32	15	
13	Minor Research Project: Circadian Disruption in Food and Sleep Rhythems in Rural and Urban School Studies	Prof. Neelu Jain Gupta	Zoology	U.P. Higher Education	1.48	15	
14	Minor Reseach Project: Light at Night Effect on Learning and Memory in Diurnal Zebra Finches: A Behavioral Approach	Prof. Sanjay Kumat Bhardwaj	Zoology	U.P. Higher Education	1.56	15	
15	Minor Reseach Project: Immuo modulatory Studies of Nanoparticales for the Delvery of R23 Strains of Newcastle Disease in Chicks.	Dr. Dushyant Kumar	Zoology	U.P. Higher Education	1.42	15	
16	Minor Reseach Project: Chemosensor Study of ZnO: Ag nanocomposite for the detection of Heavy Metals from Edible Product	Dr. Sanjeev Kumar Sharma	Physics	U.P. Higher Education	2.56	15	
17	ब्रह्मदत्तम विष्णुसमदत्तमरु भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उत्तर प्रदेश के अल्पज्ञात स्वतंत्रता	Prof. Vighnesh Kumar	History	U.P. Higher Education	4	20	

	सेनानी: पृष्ठभूमि एवं संघर्ष 1905-1947 ई० छसहारनपुर एवं मेरठ मण्डलों के विघेघ संदर्भ में ढ					
18	Centre of Excellence: Toxicity Risk Assessment of Silver Nanoparticles Using Bioluminescent Biosensor	Dr. Yashvandra Verma	Toxicology	U.P. Higher Education	5	19
19	Centre of Excellence: Fuzziness And Soft Computing	Dr. Mukesh Kumar Sharma,	Mathematics	U.P. Higher Education	4.75	25



M.P. Madhukar
Deputy Director
Incharge, IC
Tel: +11-26742832
Email: madhukar806@gmail.com

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
(शिक्षा मंत्रालय)

पोस्ट बॉक्स-10528, अरुणा असाफ अली मार्ग
नई दिल्ली, दिल्ली 110067

Indian Council of Social Science Research
(Ministry of Education)
Post Box-10528, Aruna Asaf Ali Marg,
JNU Institutional Area, New Delhi, Delhi 110067
Website: www.icssr.org

AR (Dev)

File No: ICSSR-NIHSS/JRP (IND-1)/2021-IC

30.06.2021

SANCTION ORDER

[Signature]
कुलसचिव
विश्वविद्यालय,
मेरठ

✓ **The Registrar**
Chaudhary Charan Singh University,
Meerut-250004
Uttar Pradesh

Subject: Sanction of the Joint Research Project under ICSSR (India)--NIHSS (South Africa) Joint Research Programme in the field of Social Sciences.

Sir,

The Indian Council of Social Science Research (ICSSR) considered the joint research project of Prof. Pradeep Kumar Misra proposal entitled "Technology to Promote Equity, Access and Quality in Higher Education: Policies and Practices from South Africa and India" jointly submitted with Dr. Nokulunga Sithabile Ndlovu, WITS School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg under the ICSSR (India) - National Institute for the Humanities and Social Sciences (NIHSS, South Africa) Bilateral Programme.

The study, as proposed by the Principal Investigator (PI), is to be located at and financially administered by your institution as per the guidelines of this award.


The ICSSR has sanctioned a grant-in-aid of **Rs. 13, 16, 875/-** (Rupees Thirteen Lakhs Sixteen Thousand Eight Hundred Seventy Five only) for the above joint research project and the grant will be released as follows:

- The first installment of **Rs. 5, 00, 000/-** will be released on receipt of advance receipt and PFMS form duly signed by the competent authority (Copy attached) for the first year of the project.
- The second installment of **Rs. 5, 00, 000/-** will be released at the beginning of the second year of the project on receipt of intermediate project report along with a simple statement of accounts of the first installment.
- Last and final installment of **Rs. 3, 16, 875/-** will be released after the completion of the project and on receipt of a final report (hard bound) along with audited statement of account and utilization certificate (GFR-12A) of the total sanctioned grants duly forwarded by the competent authority (Copy attached).

The other terms and conditions of the award would be as follows:

- I. This research project is affiliated to the **Chaudhary Charan Singh University, Meerut, UP**
- II. ICSSR will release the funds to the affiliating organization on receipt of the enclosed advance receipt & PFMS form duly signed by its competent authority.
- III. All project instalments will be transferred through Public Finance Management System (PFMS) and ICSSR shall implement the EAT module for ensuring transparency of expenditure at all levels and to ensure that there is no parking of funds.
- IV. Date of commencement of the Joint Research Project is **1st July 2021** and has to be completed within a period of **two years (24 Months)**. The intermediate report is to be submitted along with simple statement of accounts of the first installment and a request for release of the second installment on completion of one year of the project.
- V. The Principal Investigator (PI) will be fully responsible to interact with his joint research project partner in South Africa and ensure his/her concurrence before launching of the project.
- VI. The PI in association with the host institution must undertake to make all the necessary practical and administrative arrangements for the field visit related to the project.
- VII. The PI will cover the research cost of South African scholar visiting India including his international travel costs (economy class), accommodation, maintenance, local/domestic travel.
- VIII. The PI visiting South Africa will have to ensure the arrangements of boarding, lodging and maintenance as per the norms of that country in connivance with the Principal Investigator in South Africa.
- IX. The PI shall have full discretion to spend the funds as per approved budget heads and amount of the budget to carry out the research and visit as per the outlines of the research project. However, the grant-in-aid is subject to all the conditions laid down in the Indian Council of Social Science Research (ICSSR) Research Projects Scheme available on the ICSSR website: www.icssr.org
- X. The expenses on airfare (economy class) preferably by Air India, visa charges, and travel insurance are chargeable as per actual expenditure.
- XI. The PI may with the permission of the Institution, re-appropriate expenditure from one sub-head to another, subject to a maximum of 10% of the particular budget heads. If the study necessitates re-appropriation beyond 10%, it may be done only after the approval of the ICSSR.
- XII. The affiliating institute will maintain accounts of expenditure and forward audited statement of accounts to the ICSSR and refund the unspent balance, if any, on completion of the project.
- XIII. The PI will draw grant from the affiliating institution as and when required as per the requirements in accordance with the budgetary provisions.
- XIV. Any equipment and books purchased out of the project fund shall be the property of the affiliating institutions. On completion of the study, the PI shall submit an undertaking in this regard. The ICSSR, however, reserves the right to take charge of equipment and books, if it thinks it fit in a case.
- XV. The ICSSR reserves the right to change/alter the norms/guidelines to facilitate the project work and funding.
- XVI. As per Ministry of Education instruction, the amount of grant sanctioned herein is to be utilized by the end of the project duration. Any amount of the grant remaining unspent shall be refunded to the ICSSR immediately after the expiry of the duration of the project. If the grantee fails to utilize the grant for the purpose for which the same has been sanctioned/or fails to submit the audited statement of expenditure within the stipulated period, the grantee will be required to refund the amount of the grant with interest thereon @ 10% per annum.


- IV. The activities under this programme will also be governed by the terms covered in the **Joint Call for Research Proposal 2021**.
- XVIII. After completion of the Project, the PI is required to submit the final report of the project within three months of the completion of the research work. The final report should mention the output (such as working papers that should lead to publications). Publications should mention the possible policy applications of the results of the research. The Publications coming out of this project should mention the ICSSR-NIHSS (Bilateral Programme) Joint Research Programme in the Social Sciences as source of funding.


M.P. Madhukar
For Member-Secretary

Copy to:

1. Finance Branch, ICSSR: The expenditure involved will be debited to the Budget Head Accounts (GEN OH 31)- (J) International Collaborations (ICSSR-NIHSS Bilateral programme)
2. **Dr. Pradeep Kumar Misra**
Professor
Department of Education
Chaudhary Charan Singh University,
Meerut-250004 (UP)
3. Record File


M.P. Madhukar
For Member-Secretary



Pushkar Pathak
Systems Analyst
Tel # 011-26741459
E-mail: icssr.specialcall@gmail.com

R1109
01/3/21

Indian Council of Social Science Research
(Ministry of Education)
JNU Institutional Area, Aruna Asaf Ali Marg,
New Delhi – 110067
Website: www.icssr.org

SANCTION ORDER

F.No. COVID/548/16/2020-21/ICSSR

Dated: 26-02-2021

The Registrar,
Ch. Charan Singh University
Meerut-250004, UP

ARC Dev

Registrar
Ch. Charan Singh University
Meerut

Subject: Sanction of Research Project entitled "Social Volunteerism and Political Regimes During Covid-19 Pandemic: A Comparative Study Of Sewa Bharti Endeavours In Haridwar (Uttarakhand) And Howrah (West Bengal) Districts" under Special Call for Studies Focusing on Social Science Dimensions of Covid-19 Coronavirus Pandemic to Dr. Rajendra Kumar Pandey

Dear Sir/Madam,

1. The Indian Council of Social Science Research (ICSSR) considered the above Research project under Special Call for Studies Focusing on Social Science Dimensions of Covid-19 Coronavirus Pandemic submitted by Dr. Rajendra Kumar Pandey, Associate Professor, Dept of Political Science, Ch. Charan Singh University, Meerut.
2. The study, as proposed by the researcher, is to be located at and financially administered by your affiliating institution as per the guidelines of this award.
3. The ICSSR has sanctioned a grant-in-aid of Rs. 800000/- (Rupees Eight Lakh Only) for the above research project and the grant will be released as follows:

First instalment (25%)	:Rs. 200000/-
Second instalment (40%)	:Rs. 320000/-
Third instalment (25%)	:Rs. 200000/-
Fourth Instalment (5%)	:Rs. 40000/-
Publication cost* (5%)	:Rs. 40000/-
Total	:Rs. 800000/-
Overhead charges over and above 5% or maximum Rs.1,00,000	: Rs. 40000/-**

* ICSSR would publish it subject to recommendation by the expert and relevant Committees for the purpose, from the overall budget, so to be retained by the ICSSR .

**will be released on successful completion of project after evaluation.
(The break-up budget approved by the ICSSR of Rs. 800000/- is enclosed).

4. The **First instalment** of the approved grant-in-aid will be released after receiving the grant-in-aid bill duly filled in, stamped and signed by the Project Director as well as the affiliating organization. (GIB already received).
5. In case, the study involves survey research, the finalized schedules/questionnaires (2 copies) designed to elicit information should be sent to the ICSSR as per the following schedule:

- a) If the schedule/questionnaire for eliciting information is as per standard questionnaire, the will have to be sent to ICSSR immediately,
 - b) If the schedule /questionnaire for eliciting information are to be designed afresh keeping in view the requirements of the project, these will have to be sent to the ICSSR within a period of six months in any case.
6. The **Second instalment** will be released after receiving a satisfactory **mid-term** progress report along with a simple statement of account of the first instalment.
 7. Before the release of **Third instalment**, soft copy of the Final Report (in both pdf and word format) along with test report of plagiarism check carried by scholar him/herself to be submitted for its acceptance. The plagiarism test should be carried by using Turnitin/iThenticate software and degree of similarity must be below 16%. ICSSR itself will also verify the plagiarism result.

After acceptance of report by the ICSSR, Project Director would be required to submit the following:

- a. **Two** hard copies of modified Final Report free from plagiarism,
 - b. **Ten** copies of executive summary of 3000 to 4000 words
 - c. Final soft copy (in both pdf and word format) in pen drive.
 - d. At least **one**, preferably **two or more** Research Papers.
 - e. Soft copy of data related to Research project for the archival purpose and its dissemination.
8. The scholar shall acknowledge support of ICSSR in all publications resulting from the project output (Research Paper, Books, Articles, Reports, etc.) and should submit a copy of the same to the ICSSR during its course till completion. ICSSR will have first right to publish in original/improved/edited form of the above mentioned output of the project.
 9. The **Fourth instalment** will be released on the receipt of:
 - (a) Satisfactory book length of the Final Report in the publishable form after incorporating all corrections, suggestions of the expert;
 - (b) Statement of accounts with Utilization Certificate in GFR of 12A form for the entire project amount duly signed by the Finance Officer/Registrar/Principal/Director of the affiliating institution
 - (c) A certificate of statement of assets and books purchased out of the project fund issued by the affiliating institution.
 10. The University/Institution of affiliation will provide to the scholar office accommodation including furniture, library and research facilities and messengerial services. For this, the ICSSR shall pay to the University/Institution of affiliation overhead charges @ 5% of the total expenditure incurred on the project only after successful completion of the project.
 11. The Contingency Grant may be utilized for research and office assistance, books, stationary, computer cost, research assistance and the field work expenses of Project Director, Co-Project Directors and research personnel connected with the research work.
 12. The overhead charges to the affiliating institution over and above @ 5% or maximum Rs.1,00,000 will be released only after successful completion of the project after evaluation. The accounts and the Utilization Certificate will be signed by the Finance Officer/Registrar/Principal/Director in the case of accounts of the institution are audited by CAG/AG. Otherwise, they need to be signed by the Finance Officer and the Chartered Account.
 13. The Project Director of the research project will be **Dr. Rajendra Kumar Pandey**, who will be responsible for its completion within **9 months** from the date of commencement of the project i.e. **1st March 2021**.
 14. The Project Director will abide by all conditions mentioned in guidelines, award letter, sanction order and any other order issued from time to time.

R. K. Pandey

In case, the Project Director does not submit the periodic / final project report as per schedule with adequate justification, the scholar may be penalized or even debarred from availing all future financial assistance from ICSSR.

16. All grants from ICSSR are subject to the general provision of GFR 2005 and in particular with reference to the provision contained in GFR 209, GFR 210, GFR 211 and GFR 212.
17. The Project Director will ensure that the expenditure incurred by him conforms to the approved budget heads. The grant-in-aid is subject to all the conditions laid down in the Special Call for Studies Focusing on Social Science Dimensions of Covid-19 Coronavirus Pandemic <https://icssr.org/sites/default/files/covid-19-guidelines.pdf>
18. The expenditure on this account is debatable to the **Budget Head-OH 31.01 Research Projects (Scheme-0877)**. The details of expenditure to be booked under different sub-heads may be seen as the last page of the sanction order.
19. All the installments of grant according to Para 3 of Sanction Order Letter will be released against said project and fulfilling all conditions for the release of grant to affiliated institute as per details placed below at Annexure A provided by the competent authority of affiliated institute/university/college as applicable. **Opening of PFMS account by the Affiliated Institute for sanctioned project by ICSSR is mandatory for the release of grant and is entirely the responsibility of the scholar and the affiliating institute to enable PFMS account functional from their end.**
20. As per Ministry of Education instruction, the amount of grant sanctioned herein is to be utilized by **the end of the project duration**. Any amount of the grant remaining unspent shall be refunded to the ICSSR immediately after the expiry of the duration of the project. If the grantee fails to utilize the grant for the purpose for which the same has been sanctioned/or fails to submit the audited statement of expenditure within the stipulated period, the grantee will be required to refund the amount of the grant with interest thereon @ 10% per annum.

Yours faithfully,



Pushkar Pathak
(Systems Analyst)

For MEMBER-SECRETARY

Encl: as above.

Copy to:

1. **Dr. Rajendra Kumar Pandey**
Associate Professor,
Dept of Political Science,
CCS University, Meerut-250004, UP
Mobile No - 8130878851
2. Finance Branch, ICSSR, New Delhi
3. Record file



Pushkar Pathak
(Systems Analyst)

For MEMBER-SECRETARY



भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्
(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

INDIAN COUNCIL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH
(Government of India, Ministry of Human Resource Development)



F.4-14/20-21/P&R/ICPR

20/01/2021

Award Letter

To

Dr. Pawan Kumar Sharma

Professor & Head

Department of Political Science

C.C.S. University, Meerut - 220005

Subject: Grant of Rs. 5.00 lakhs (five lakhs) for the project 'प० दीनदयाल उपाध्याय प्रणीत एकात्म मानव दर्शन का दार्शनिक आधार: वैदिक साहित्य के विशेष संदर्भ में' for a period of 2 & half years.

Dear Sir/Madam,

Indian Council of Philosophical Research Conveys its approval for the grant of Rs. 5.00 lakhs (five lakh only) towards the above-mentioned project to be carried out by Dr. Pawan Kumar Sharma, Professor & Head, Department of Political Science, C.C.S. University, Meerut - 220005 U.P. The grant amount will be released in three installments as the following:

Tenure	Two Years	
I Installment	40% release with receipt of complete application with annexure.	Rs. 2,00,000/-
II Installment	40% release on evaluation of first progress report with simple statement of account.	Rs. 2,00,000/-
III Installment	20% release on evaluation of final progress report with simple statement of account.	Rs. 1,00,000/-

Terms and conditions:-

- 1) The sanctioned amount of the project grant shall be utilized exclusively for the purpose for which it is sanctioned. Regular account shall be maintained with regard to expenditure (with receipts and cash bills) incurred out of the project grant including travel and TDS liability.
- 2) The expenditure for the project, should be not more than 10% of the total project grant for contingency; not more than 30% of the total project grant for travel (domestic); not more than 40% of the total grant is to be used for books (journal/Reading materials in electronic form). The scholar may retain the assets by paying remaining 50% to ICPR. The project Guide Lines in the original application form should be strictly adhered to.
- 3) The grantee shall submit interim academic progress reports in every six months. A soft copy of the same report should be submitted by email, which may be uploaded in the ICPR Website.
- 4) In order to claim the subsequent installments, the grantee shall submit the following.
- 5) The detailed academic progress report on the work already completed, and the work to be completed.
 - a). The expenditure till the date either by submitting original receipts / vouchers with a statement of expenditure, or by submitting Audited Statement of Account (ASA) along with a Utilization Certificate (UC) in GFR 19A issued by a Registrar / Finance Officer/ Chartered Accountant duly support by photocopy of receipts and vouchers.
 - b).TDS (Tax Deduction as Source) as applicable under income tax rule may be deducted and submitted to the Income tax department in time under the TIN No. of the grantee. All the documents (except submission by email) should always be submitted through proper channel.
- 6) Immediately after the project is over the payee shall submit the final manuscript on the project with due acknowledgement to ICPR, along with a summary / brief report, both in hard bound copy and in soft copy. The

स्वच्छ भारत अभियान (पर्यावरण को स्वच्छ बनाने)

E-mail: icpr@bol.net.in, icprhqrs@gmail.com Website: http://www.icpr.in

NOTE: Co-ordinator
Professors, Faculty of Education, M. J. P. Rabul Khan, University
Baranilly, shall also be added. Page 8
LTS 2
01/11/21

- summary report of the project, which will be submitted by email, will be uploaded in the website of the Council. Two complete sets of final manuscript in hard copy is to be submitted.
- 7) The matters of intellectual property rights and publications will be as per the Project Guidelines available in the website of the Council.
 - 8) Multiple funding of the projects sponsored by ICPR is strictly prohibited.
 - 9) In case of discontinuation of the project by the scholar /payee, he/she will be liable to return the entire project grant received from the grant of the Council, failing which the Council can institute legal action. Legal dispute, if any, will be settled in the Court of Delhi.
 - 10) Regarding retaining books and assets like computer, laptop, printer etc. It was decided that 50% or the cost would be borne from the project grant and the scholars can be asked to retain the assets by paying remaining 50%.
 - 11) The above documents are mandatory requirement to settle the account and enable to release the final installment (balance 40%). The financial assistance should be utilized for the purpose for which it has been sanctioned as per the budget and under the sanctioned financial year.
 - 12) No part of the assistance is to be utilized for publication of the proceedings of the programme. The expenditure will be debited to the head of Group -----)-----will be released to as below:

To be disbursed to	Dr. Pawan Kumar Sharma Professor & Head Department of Political Science C.C.S. University, Meerut - 220005
To release to	Finance Officer, Political Science Department, Ch. Charan Singh University, Meerut-250004
Account Number	50537860522
Name of Bank	Indian Bank
IFSC code	ALLA0210144
MICR code	250010157
Address	Meerut University Meerut

Self-certification by Project Scholar

I hereby certify that the above terms and conditions are acceptable/not acceptable.

Name/Signature
With Seal if any.

LTS 2
01/11/21
डॉ० पवन कुमार शर्मा
आचार्य एवं अध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग
चौ चरण विश्वविद्यालय, मेरठ


(Dr. Pooja Vyas)
(Director A/P&R)

Copy for information and necessary action to:
Director (A&F), ICPR, New Delhi

Copy to:-

Finance Officer, Political Science Department, Ch. Charan Singh University, Meerut-250004

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

2. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

3. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

4. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

5. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2021

विषय- प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-275/रा०उ०शि०प०/०१/2021, दिनांक 02.07.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत संलग्न विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू० 45,75,300/- (रूपये पैंतालीस लाख पचहत्तर हजार तीन सौ मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा।
2. शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये गये शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं शासन को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी।
3. प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
5. योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- नियमित रूप से अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएंगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
 7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अद्यत् की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
 9. इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
 10. इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
 11. उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
 12. इस अनुदान पर विश्वविद्यालयों को ब्लॉक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04.05.1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जाएंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जाएंगे।
 13. इस अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
- 2- इस निमित्त होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800 अन्य व्यय-13-प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक/वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित शिक्षक/शोधकर्ता द्वारा कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय।
7. अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-80/2021/1543(1) /सत्तर-4-2021-4(28)/2021 दिनांक-10/08/2021 का संलग्नक:-

क्र०	प्रमुख शोधकर्ता एवं विभाग	विषय	संस्तुत की गयी धनराशि का मदवार विवरण	
1	2	3	4	5
1	डॉ० राम मनोहर लोहिया	अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या	मद	धनराशि
1.1	Dr. Sindhu Singh (Department of Physics & Electronics)	Synthesis of doped (lead free) Ba TiO ₃ by Solid State Ceramic Route and Characterization for Capacitor Applications	उपकरण	250000
			आकस्मिक व्यय	10000
			उपभोज्य	70000
			ओवर हेड चार्ज	25000
			योग	355000
1.2	Dr. Neelam Yadav of (Department Biochemistry)	Investigation and Evaluation of Novel Drug Based on Polyherbal Extracts for Liver Cancer	उपकरण	250000
			आकस्मिक व्यय	5000
			उपभोज्य	90000
			ओवर हेड चार्ज	20000
			योग	365000
1.3	Prof. Neelam Pathak of (Department Biochemistry)	Biochemical and Molecular characterization of Ziziphus species and elucidation of bioactive potential	उपकरण	400000
			प्रोजेक्ट असिस्टेंट	180000
			आकस्मिक व्यय	17500
			उपभोज्य	100000
			फील्डवर्क/यात्रा	5000
			ओवर हेड चार्ज	82500
			योग	785000
1.4	Dr. Geetika Srivastava (Department of Physics and Electronics)	Artificial Intelligence Based EEG Monitoring system for Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of Japanese Encephalitis	उपकरण	465000
			यात्रा/फील्ड वर्क	2500
			ओवर हेड चार्ज	20000
			योग	487500
2	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी			
2.1	Dr. Mukesh Kumar Panth (Department of Psychology)	Exploring the need of psychological counseling in youth in relation to mental health	उपकरण	210000
			कर्मचारी सेवाओं के लिए	48000
			आकस्मिकता	2500
			उपभोज्य सामग्री	5000
			यात्रा/फील्ड वर्क	3000
			ओवर हेड चार्ज	50000
			योग	318500
3	प्र० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज			
3.1	Dr. Vivek Kumar Singh (Department of Geography and Centre for Social Work)	Analysis of Factors Influencing the Adoption of Agricultural Innovations in Azamgarh District	-	200000
3.2	Prof. Raj Kumar Gupta (Department of Ancient History, Culture and Archaeology)	उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य एवं कला में सामाजार्थिक आयाम (8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी ई० तक)	कर्मचारी सेवाओं के लिए	15000
			आकस्मिकता	8500
			उपभोज्य सामग्री	15000
			यात्रा/फील्ड वर्क	25000
			योग	63500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3.3	Dr. Archana Chandra (Department of Commerce)	The Social Symbolism of Pradhan Mantri Ujjwala Yojna: Informing policy and management	उपकरण	125000
			कर्मचारी सेवाओं के लिए	35000
			आकस्मिकता	8500
			उपभोज्य सामग्री	17000
			यात्रा/फील्ड वर्क	7500
			योग	193000
4	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ			
4.1	Prof. Beer Pal Singh (Department of Physics)	Development of Toxic Gas Sensors using Biosynthesized Semiconducting Metal Oxide Nanostructures	उपकरण	130000
			आकस्मिकता	15000
			उपभोज्य सामग्री	150000
			यात्रा/फील्ड वर्क	10300
			ओवर हेड चार्ज	33000
			योग	338300
4.2	Prof. Vijai Malik (Department of Botany)	Studies on Graminoids in Western Uttar Pradesh	उपकरण	50000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	25000
			यात्रा/फील्ड वर्क	75000
			ओवर हेड चार्ज	40000
			योग	215000
4.3	Dr. Ashok Kumar (Department of Botany)	Enhancement of heat tolerance in food legume crop (Chick pea) Rhizobium engineering	उपकरण	100000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोज्य सामग्री	4000
			यात्रा/फील्ड वर्क	25000
			ओवर हेड चार्ज	40000
			योग	219000
5	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ			
5.1	Prof. amita Kanaujia (Department of Zoology)	Annotated Coloured Checklist of Raptors of Uttar Pradesh	जूनियर रिसर्च फेलो	216000
			यात्रा/फील्ड वर्क	75000
			प्रशासनिक एवं सामर्थक व्यय	30000
			पुस्तकें	12000
			ओवर हेड चार्ज	150000
			योग	483000
5.2	Dr. Monisha Banerjee (Department of Botany)	Anticancerous potential of Cynodon Dactylon (doob) in cervical cancer	मैन पावर	300000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	200000
			ओवर हेड चार्ज	27500
			योग	552500
			संपूर्ण योग	4575300

सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-108/2021/2585/सत्तर-4-2021-4(28)/2021

प्रेषक,

अब्दुल समद,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
5. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
1. डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
2. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
4. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
5. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4लखनऊ, दिनांक: 28 दिसम्बर, 2021

विषय- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनातर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनातर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-356/रा०उ०शि०प०/०१/2021, दिनांक 19.08.2021, पत्र संख्या-388/रा०उ०शि०प०/०१/2021, दिनांक 08.09.2021, पत्र संख्या-503/रा०उ०शि०प०/०१/2021, दिनांक 18.11.2021 एवं पत्र संख्या-522/रा०उ०शि०प०/०२/2021, दिनांक 08.12.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरीत सलग विवरण के अनुसार प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनातर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू० 1,09,75,832/- (रूपये एक करोड़ नौ लाख पचहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोग्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आकस्मिक व्यय पर किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये गये शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं प्रगति रिपोर्ट शासन तथा उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		computational approaches		
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ				
14	Dr. Ramakant (Department of Mathematics)	Isolation and Characterization of Phormidium strains from polluted water bodies of Meerut for harnessing of valued added products and nutrients Mining Potential	मैन पावर आकस्मिकता उपभोज्य सामग्री यात्रा/फील्ड वर्क ओवर हेड चार्ज योग	60000 10000 45000 15000 18000 148000
15	Prof. Neelu Jain Gupta (Department of Zoology)	Circadian Disruption in Food and Sleep Rhythms in Rural and Urban School Studies	मैन पावर आकस्मिकता उपभोज्य सामग्री ओवर हेड चार्ज योग	96000 12500 25000 14600 148100
16	Prof. Sanjay Kumar Bhardwaj (Department of Zoology)	Light at Night Effect on Learning and Memory in Diurnal Zebra Finches: A behavioral Approach	मैन पावर आकस्मिकता उपभोज्य सामग्री यात्रा/फील्ड वर्क योग	96000 5000 50000 5000 156000
17	Prof. Bindu Sharma (Department of Zoology)	Genomic Analysis of Zoonotic and Non Zoonotic Helminth Parasites From Mice (Mus Musculus) and Rat (Rattus norvegicus and Rattus rattus) in Meerut Region to identify potential drug compounds	मैन पावर आकस्मिकता उपभोज्य सामग्री यात्रा/फील्ड वर्क ओवर हेड चार्ज योग	60000 ✓ 32500 25000 2500 12000 132000
18	Dr. Dushyant Kumar Chauhan (Department of Zoology)	Immunomodulatory Studies of Nanoparticles for the Delivery of R23 Strain of Newcastle Disease in Chicks	मैन पावर उपभोज्य सामग्री आकस्मिकता यात्रा/फील्ड वर्क ओवर हेड चार्ज योग	100000 10000 15000 2500 15000 142500
19	Dr. Prof. Beer Pal Singh (Department of Physics)	Development of efficient electrode materials for supercapacitor application	उपकरण मैन पावर आकस्मिकता यात्रा/फील्ड वर्क ओवर हेड चार्ज योग	300000 150000 2000 10000 5000 467000
20	Prof. Sanjeev Kumar Sharma (Department of Physics)	Chemosensor study of ZnO: Ag nanocomposite for the detection of Heavy metals from edible products.	उपकरण उपभोज्य सामग्री यात्रा आकस्मिकता इंस्टीट्यूट ओवर हेड योग	150000 50000 5000 25000 26000 256000
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली				
21	Dr. Abha Trivedi (Department of Animal Science)	Biomonitoring and Genotoxicological Studies of Heavy Metal Components of brass alloy in River Ramganga	उपभोज्य सामग्री आकस्मिकता मैट्रिक्स बुक्स एण्ड जर्नल्स	150000 10000 20000 20000

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासना

सेवा में,

कुलसचिव,

1. डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठा।
3. उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
4. डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
6. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
7. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
8. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
10. महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलाखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

विषय- प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुस्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के विश्वविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-141/रा०उ०शि०प०/०१, दिनांक 08.03.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत संलग्न विवरण अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू० 1,58,62,700/- (रूपये एक करोड़ अठ्ठावन लाख बासठ हजार मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोग्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा।
2. शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कर शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं शासन को नियमित रूप से प्रगति उपलब्ध करायी जाएगी।
3. प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या शासन को संकलित उपलब्ध कराया जायेगा।

91469
31/3/21F.C/D
31/4/21AC 36
31/4/21

मा० कुलपति
लखनऊ
31/4/21

Registers

F.O
N

लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 21

A.B.C.
F.O.

L. Narayn

5. योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटोरिंग की जायेगी तथा शासन को नियमित रूप से अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएंगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
 6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो महाविद्यालय द्वारा उसका वह अपने स्रोतों से किया जायेगा।
 7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
 9. इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अनुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा अनुमन्य नहीं होगा।
 10. इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
 11. उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियां व्यय हेतु अनुमन्य होंगी, जो शासनादेश संख्या-1075/सत्तर-99/46(21)/99, दिनांक 29.04.2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गयी है। इस उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
 12. इस अनुदान पर विश्वविद्यालयों को ब्लॉक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या 1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04.05.1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जाएंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जाएंगे।
 13. इस अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
 14. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020 एवं 11.04.2020 में निहित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 15. विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत परियोजना प्रस्ताव मूलरूप में संलग्न है।
- 2- इस निमित्त होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधिलेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800 अन्य व्यय-13-प्रदेश महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 14- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-20/231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।
- संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,



(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-५/२०२१/६०६/सत्तर-४-२०२१-४(५६)/२०२० दिनांक ३०/०३/२०२१ का संलग्नक

क्र० सं०	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	प्रमुख शोधकर्ता का नाम	विषय	संकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	Prof. Manu Pratap Singh	Study and implementation of machine learning techniques for pattern recognition of biometrics and IRIS features	साइंस	500000
2	डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	Prof.(Dr.) Ajay Taneja	Characterization of fine Particulate matter and settled dust in schools of Agra and its health Implications	साइंस	500000
3	डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	Prof.(Dr.) B. P. Singh	Preliminary feasibility analysis of stand alone PV system in the campus of Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	साइंस	277000
4	डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	Prof. sanjeev kumar	Mathematical modeling of Tumor Growth and its Treatment	साइंस	290000
5	डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	Dr. Gautam Lalbihari Jaiswar	Synthesis, characterizations and Application of modified Cellulose Nan crystals composites from Agricultural wastes	साइंस	300000
6	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	Dr. Mukesh Kumar Sharma	mathematical Aspect of meditative Fuzz Logic to health management system	साइंस	300000
7	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	Prof. Mridul Kumar Gupta	Security challenges and solutions in Smart Cities: A cryptographic Approach	साइंस	275000
8	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	Prof.(Dr.) Shiv Raj Singh	गणितीय मॉडलिंग (mathematical modelling of innertory with Environmental concern)	साइंस	280000
9	३०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज	Dr. Shruti	Statistical and Epidemiological modeling, Pandemic Dyamics and Epidemic Prediction of COVID-19	साइंस	264000

प्रेषक,

अब्दुल समद,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी

1. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4लखनऊ: दिनांक : 09 अगस्त, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के प्रस्तावों का परीक्षण एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-266/रा०उ०शि०प०/4/10 II, दिनांक 28.06.2021 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत संलग्नक विवरण के अनुसार सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत रू० 22.25 लाख (रूपये बाईस लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र०	को-ऑर्डिनेटर का नाम	विषय	संस्तुत धनराशि का मदवार विवरण	
			मद	धनराशि
1	2	3	4	5
1	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ			
1.1	Dr. Alka Misra (Department of Mathematics & Astronomy)	Investigation of Interstellar Reactions of Prebiotic Molecules vital for the Formation and Evolution of Extra-terrestrial Intelligence.	उपकरण	100000
			शोध सहायक	200000
			आकस्मिक व्यय	40000
			यात्रा व्यय	10000
			योग	350000
2	ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ			
2.1	Dr. Praveen Kumar Rai (Department of Geography)	Remote Sensing Based Landslide Risk Assessment along Mussoorie-Dhanaulti Region of Utrakhand : An approach towards Building Climate and Disaster Resilience in Communities	उपकरण	350000
			यात्रा व्यय	50000
			आकस्मिक व्यय/उपभोज्य वस्तुएं	50000
			योग	450000
3	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ			
3.1	Dr. Yeshvandra Verma (Department of Toxicology)	Toxicity risk assessment of silver nanoparticles using bioluminescent bacterial biosensor	उपकरण	200000
			व्यय योग्य /उपभोज्य वस्तुएं	300000
			योग	500000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3.2	Prof. Vighnesh Kumar (Department of History)	पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1857 के क्रान्तीवीरों से सम्बद्ध मौखिक, ऐतिहासिक एवं पुरास्मारकीय विरासत का भौतिक-सर्वेक्षण, साक्ष्य-संकलन, पाठ-सम्पादन, पाठ्यक्रम निर्माण एवं प्रकाशन	उपकरण	100000
			रिसर्च फेलो	200000
			यात्रा व्यय	50000
			आकस्मिक व्यय	50000
			योग	400000
4	डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा			
4.1	Prof. Anil Kumar Verma (Department of History & Culture)	"The Making of Modern Agra (1803 AD-1857AD)	उपकरण	200000
			रिसर्च फेलो	200000
			आकस्मिक व्यय	50000
			यात्रा व्यय	25000
			विशेषज्ञों को मानदेय	50000
योग	525000			
			कुल योग	2225000

- (1) सेंटर ऑफ एक्सिलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार फांट का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा।
- (2) प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
- (3) योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) सेंटर आफ एक्सिलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
- (5) एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।
- (6) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
- (7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।
- (9) इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थायी रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (10) उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
 - (11) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
 - (12) इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - (12) इस अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
- 2- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-49-सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,
अब्दुल समद
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. अपर सचिव, 30प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी

1. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
2. डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
6. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक : 11 अक्टूबर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के प्रस्तावों का परीक्षण एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-266/रा०उ०शि०प०/4/10 II, दिनांक 28.06.2021 एवं पत्र संख्या-363/रा०उ०शि०प०/4/10 II, दिनांक 26.08.2021 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित विवरण के अनुसार सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत रू० 79,67,500/- (रूपये उन्यासी लाख सडसठ हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र०	को-ऑर्डिनेटर का नाम	विषय	संस्तुत धनराशि का मदवार विवरण	
			मद	धनराशि
1	2	3	4	5
1	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया			
1.1	Dr. Anil Kumar (Department of Sociology)	Empowering women from Weaker Sections of Ballia District through Vocational Skills	सैलरीज/हॉनोररियम	150000
			उपकरण	200000
			टी०ए०/डी०ए० फॉर विजिटिंग फैकल्टी	150000
			कम्प्यूनिवेशन एवं स्टेशनरी	50000
			आकस्मिकता	25000
			योग	575000
2	डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ			
2.1	Dr. Sanjay Singh (Department of Sociology)	Status of the Forest Communities in the State of Uttar Pradesh (A sample of three forest divisions, one each from eastern, central and western Uttar Pradesh will be selected for the present Study)	फील्ड वर्क स्टडी	210000
			फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम	270000
			सेमिनार	110000
			योग	590000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3	ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ			
3.1	Dr. Tanu Dang (Department of Journalism and Communication)	Centre for Rural Communication and Development (CRCD)	रिसर्च असिस्टेंट	200000
			टेक्निकल असिस्टेंट	150000
			यात्रा	40000
			डाटा प्रोसेसिंग	40000
			स्टेशनरी एवं प्रिन्टिंग	50000
			बुक्स एवं जर्नल्स	40000
			आकस्मिकता	25000
			अन्य हियरिंग सर्विस, साफ्टवेयर खरीद, टेक्निकल ट्रेनिंग	50000
			योग	595000
3.2	Dr. Neeraj Shukla (Department of Commerce)	Entrepreneurship and Skill Development Programs with special Reference to Youth in Uttar Pradesh	रिसर्च स्टाफ	200000
			इन्टरप्रिन्योरशिप अवैयरेनेस प्रोग्राम	50000
			फील्डवर्क	50000
			उपकरण एवं पब्लिकेशन	50000
			आकस्मिकता	25000
			योग	375000
3.3	Prof. (Dr.) Syed Haider Ali (Department of Business Administration)	Centre for Innovative Studies	मैन पावर	200000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	50000
			फील्ड वर्क	25000
			योग	300000
4	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ			
4.1	Dr. Shradha Chandra (Department of Public Administration)	Role of PHC/CHC in Women Healthcare (A Comparative Study of Hilly Plain Areas)	लेक्चरर सेसन	150000
			फील्ड वर्क	100000
			डिवाइस, साफ्टवेयर एण्ड आई(टी)0	100000
			पब्लिकेश ऑफ रिपोर्ट्स, डाटाबेस, पेपर्स आदि	50000
			बुक्स एण्ड पर्चेज	50000
			स्टेशनरी एण्ड आकस्मिकता	50000
			वर्कशाप	50000
			योग	550000
4.2	Dr. Suchit Swaroop (Department of Zoology)	Effect of Cigarette Smoking on Oxidative Stress and Lung Health in COVID-19 era.	उपभोज्य सामग्री	300000
			आकस्मिकता	50000
			सेमिनार/वर्कशाप	100000
			मेन्टीनेंस	100000
			योग	550000
4.3	Dr. M. Serajuddin (Department of Zoology)	Development and Standarization of Induced Breeding Techniques for Seed Production of Commercially Important Freshwater fish, Channa Punctatus	शोध सहायक	200000
			आकस्मिकता	25000
			यात्रा	25000
			बुनियादी आवश्यकता: मिनी हेचरी, प्लास्टिक पूल, एक्वेरिया आदि	150000
			योग	380000

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4.4	Dr. Geetanjali Mishra (Department of Zoology)	Ecofriendly Agriculture by Augmentation of Ladybird Beetles	अनावर्ती अनुदान	300000
			शोध सहायक	200000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	25000
			यात्रा	12500
			योग	562500
4.5	Dr. Jyotsna Singh (Department of Physics)	Renewable Energy (solar PV Water Pumping System Testing Lab in Uttar Pradesh)	उपकरण	150000
			शोध सहायक	200000
			यात्रा एवं पुस्तकें	50000
			आकस्मिकता	50000
			योग	450000
4.6	Prof. N.K. Pandey (Department of Physics)	Fabrication and characterization of P-n heterojunction composites and their enhanced gas sensing properties	उपकरण	150000
			शोध सहायक	200000
			यात्रा एवं पुस्तकें	50000
			आकस्मिकता	50000
			योग	450000
4.7	Dr. Rajesh Kumar Tewari (Department of Botany)	Improvement of functional iron status in Cereals through biochemical interventions	उपकरण	100000
			शोध सहायक	200000
			यात्रा एवं पुस्तकें	50000
			आकस्मिकता	50000
			योग	400000
4.8	Dr. Kusum Yadav (Department of Biochemistry)	Use of Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) for nutraceutical enhancement in pearl millet (<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br.)	उपकरण	100000
			उपभोज्य सामग्री	50000
			जूनियर रिसर्च फेलो	200000
			आकस्मिकता	50000
			यात्रा	25000
			योग	425000
			4.9	Dr. Sangeeta Sahu (Department of Business administration)
उपभोज्य सामग्री	20000			
शोध सहायक	200000			
यात्रा	50000			
हियरिंग सर्विस	20000			
आकस्मिकता	25000			
योग	415000			
4.10	Dr. Ashok Kumar Singh (Department of Chemistry)	Targeted Syntheses of Novel Transition Metal Complexes as Myriad Array of Metal-Based Drugs	कम्प्यूटेशनल सर्वर	100000
			उपभोज्य सामग्री	50000
			मैन पावर	200000
			आकस्मिकता	25000
			यात्रा	50000
			योग	425000

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5	प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज			
5.1	Prof. Vivek Kumar Singh (Department of Centre for Social work)	Community Development and livelihood in Prayagraj Region	रिसर्च एसोसिएट	100000
			हियरिंग सर्विस	50000
			फील्ड वर्क, ट्रेवल एण्ड अलावन्सेज	25000
			डाटा प्रोसेसिंग	50000
			आकस्मिकता	25000
			उपकरण	150000
			बुक्स एण्ड जर्नल्स	50000
			योग	450000
6	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ			
6.1	Dr. Mukesh Kumar Sharma (Department of Mathematics)	Fuzzy/Intuitionistic Transportation and Transshipments in context of Computational Artificial Intelligence	उपभोज्य सामग्री	50000
			मैन पावर	300000
			आकस्मिकता	25000
			मेन्टिनेंस	50000
			यात्रा	50000
			योग	475000
कुल योग				7967500

- (1) सेंटर ऑफ एक्सिलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार फांट का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा।
- (2) प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यो हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
- (3) योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) सेंटर आफ एक्सिलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
- (5) एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।
- (6) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
- (7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

- (9) इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा।
 - (10) उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
 - (11) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
 - (12) इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - (13) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अनुदान को छोड़कर शेष विश्वविद्यालयों के अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
- 2- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-49-सेंटर आफ एक्सीलेस की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

अब्दुल समद
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एस0पी0 मिश्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।